जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 180 प्रभात चूरू, शनिवार 26 अक्टूबर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होगा

क्योंकि हरियाणा में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से था, पर, महाराष्ट्र में कांग्रेस, गठबंधन की जूनियर पार्टनर मात्र है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। दो सौ अठयासी सीटों वाले महाराष्ट्र तथा 81 सीटों वाले आदिवासी बहुल झारखंड के विधानसभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब हरियाणा के चौंका देने वाले परिणामों ने इन दोनों राज्यों के चुनावों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में विरोधाभास साफ जाहिर हैं। एक तरफ तो भाजपा, एकनाथ शिंदे सरकार, जो भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग तथा लोक-लुभावन योजनाओं के नाम पर राजकोष को खाली कर देने के आरोपों से जूझ रही है, को समर्थन दे रही है। वहीं बिडम्बना यह है कि झारखंड में भाजपा सत्ता में आने के लिये जे.एम.एम. सरकार पर यही आरोप लगा रही है।

हरियाणा में, भाजपा ने काँटे की टक्कर के तहत बिखरी हुई कांग्रेस को मात दे दी थी। उसका आंशिक कारण तो यह रहा कि कांग्रेस, भाजपा से कुल 22,000 वोटों के अन्तर से 9 सीटें हार गई, जिसमें इंडियन नैशनल लोक दल (आई.एन.एल.डी.) से हारी सीट भी शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र एवं झारखंड की चुनावी स्थितियाँ पूरी तरह भिन्न हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस, गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार एवं झारखंड में हेमन्त सोरेन की टक्कर के करिश्माई नेता भाजपा के पास नहीं है, इसीलिये भाजपा पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी की छवि और अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर भरोसा करने के लिए मजबूर है।

- **महाराष्ट्र में भाजपा के पास शरद पवार व उद्धव ठाकरे जैसा करिश्माई नेता भी नहीं है। हालांकि भाजपा ने शरद पवार को कमज़ोर करने के लिए अजित पवार का और उद्धव ठाकरे को कमज़ोर करने के लिए एकनाथ शिंदे का प्रयोग किया, पर, उसे सफलता नहीं मिली।**
- **जबकि, हरियाणा में भाजपा का सामना धरातल पर बिखरी हुई व गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस से था, यही वजह रही कि कांटे की टक्कर में भाजपा ने जीत हासिल कर ली।**

महायुति गठबंधन में अजित पवार सबसे कमज़ोर कड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही तक, वे अपने चाचा शरद पवार के गुट में लौटने के लिये, उनसे समझौता वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे एन.सी.पी. को तोड़कर, भाजपा के पक्ष में गये थे, उस समय ई.डी. 80,000 करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ जाँच करने वाला था। लेकिन उनकी सारी परेशानियाँ भाजपा में शामिल होने के बाद समाप्त हो गईं। दरअसल, अजित पवार का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, जबकि शरद पवार का जनाधार व्यापक और मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनावों में, अजित पवार जैसे-तैसे एक सीट जीत पाये थे तथा उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले से बारामती सीट पर बुरी तरह हार गई थीं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना लोकसभा चुनाव में 7 सीटें तथा भाजपा मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। शिंदे गुट, लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, अब सीटों के आनुपातिक आवंटन पर जोर दे रहा है। लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही, भाजपा ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं तथा शिंदे और पवार गुट को दरकिनार कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा ने दिल्ली में शिंदे को यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा ज्यादा सीटें प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है क्योंकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर तथा देवेन्द्र फड़नवीस उनका अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री बनाकर, एक बड़ी कुर्बानी दी है। भाजपा यह दलील देती है कि लोकसभा चुनावों में शिंदे गुट को ज्यादातर वोट उत्तर भारत के प्रवासियों से मिले थे, जो परम्परागत रूप से मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत जनाधार हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एडिशनल एस.पी. ने 34 लाख में राजीनामा कराया- डी.जी. जाँच करें

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के गंगापुर थाने में दर्ज मामले में बिना जांच अधिकारी होते हुए, तत्कालीन स्थानीय एडिशनल एस.पी. की ओर से 34 लाख रुपए में पक्षकारों के बीच राजीनामा कराने के मामले में डी.जी.पी. को जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से वर्दी में नोटों के साथ बैठकर पक्षकारों में राजीनामा कराने को गंभीर माना है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी का मध्यस्थता कराना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में डी.जी.पी. से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की पुनः जांच कराएं अन्यथा पूर्व में तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे एडिशनल एस.पी. की सेवा पुस्तिका में लगाया जाए। इसके साथ ही, अदालत ने मामले के आरोपी पवन कुमार को जमानत पर रिहा करने को कहा है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह

- **हाई कोर्ट ने कहा, एडिशनल एस.पी. जाँच अधिकारी नहीं थे, पर वर्दी में नोटों के साथ पक्षकारों के साथ बैठकर समझौता कराया, यह गंभीर मामला है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्व अधिकारी-अधिशाषी अधिकारी परीक्षा निरस्त

आर.पी.एस.सी. ने हाईटैक डिवाइस से नकल की पुष्टी होने पर यह निर्णय लिया

अजमेर, 25 अक्टूबर (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन के दौरान गोपनीयता भंग होने की जानकारी के बाद, राजस्व अधिकारी ग्रेड- द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 (14 मई 2023) को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग ने 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच के लिए ए.टी.एस. एवं एस.ओ. जी. को लिखा था। आयोग अब समस्त आवेदित अभ्यर्थियों के लिए 23 मार्च 2025 को पुनः परीक्षा का आयोजन करेगा।

आयोग सचिव के अनुसार, आयोग ने पाया कि परीक्षा आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई अभ्यर्थियों द्वारा ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में दर्ज तीन प्राथमिक रिपोर्ट, उनके अनुसंधान उपरान्त, अपराध प्रमाणित पाये जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) परीक्षा, 2022 (परीक्षा 14 मई 2023) की गोपनीयता खंडित हुई है। इसीलिए आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है।

आयोग द्वारा 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे।

दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग ने भी 02 अगस्त 2024 से दिनांक 08 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पूछताछ नोट तैयार किया और 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. को अग्रिम अनुसंधान करने के लिए लिखा था। इस क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर ने 28 अगस्त 2024 को आयोग को अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के सम्बन्ध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं। नकल के इसी प्रकरण में 24 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त एस.ओ.जी., जयपुर ने भी एस.ओ.जी. थाना जयपुर में 19 अक्टूबर 2024 को एफ.आई.आर. संख्या 66/2024 दर्ज की गई है एवं अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।

- **अतिरिक्त महानिदेशक एस.ओ.जी. ने 28 अगस्त की रिपोर्ट में आयोग को बताया कि परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं।**
- **समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 मार्च 2021 को होगी।**

क्या सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे?

मुम्बई पुलिस को शक है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे

मुंबई, 25 अक्टूबर। महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दौरान हत्यारों के पास पांच अलग-अलग तरह की पिस्तौलें थीं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मामले में गिरफ्तार आरोपी राम कनौजिया के घर से एक पिस्तौल मिली है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मुंबई पुलिस ने संदेह जताया है कि ये पिस्तौलें पाकिस्तान से आई हैं। पुलिस को शक है कि ये ड्रोन के जरिए भेजी गई हैं। इन हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, पिस्टल रायगढ़ जिले के प्लसपे नाम की जगह से बरामद की गई है, जहां पर आरोपी राम कनौजिया का किराए का घर है। पुलिस को इस मामले में अब कुल 4 पिस्टल मिल चुकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि हत्यारों के पास कुल 5 अलग-अलग तरह की पिस्टल थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शूटर्स के मोबाइल को जब खंगाला गया तो उनमें पिस्तौलों की तस्वीरें मिली थीं। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच अन्य पिस्तौल ढूंढ ने में लग गई। मुंबई क्राइम ब्रांच को ऑस्ट्रेलिया मेड ब्रेटा पिस्तौल की तलाश है।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के रहने वाले गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मराज कश्यप के साथ आरोपी शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी, जबकि पुणे के प्रवीण लोनकर के भाई शुभम का संबंध कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से है। उसने और अन्य आरोपियों ने हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी और शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी।

हत्या से पहले सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद पुलिस अधिकारी पर मिर्च पाउडर फेंका गया था। वहीं, पुलिस के अनुसार, पुणे के एक स्क्रैप डीलर हरीश कुमार निसाद ने हत्या के लिए वित्तीय मदद दी थी। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम के साथ ही मुख्य आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर फिलहाल फरार हैं।

पुलिस सूत्रों बताया कि मुख्य आरोपी जीशान अख्तर अन्य सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसने काम पूरा होने पर उन्हें मोटी रकम और फॉरेन टूर का वादा किया था।

- **मुम्बई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गई हैं।**
- **मुम्बई क्राइम ब्रांच को जाँच के दौरान पता चला कि हत्यारों के पास 5 अलग-अलग तरह की पिस्तौलें हैं। पुलिस चार पिस्तौलें बरामद कर चुकी है।**

विख्यात वैज्ञानिक रोहिणी गोड़बोले का निधन

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत करने वाली प्रमुख आवाज़ों में से एक भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं।

पद्म श्री से सम्मानित गोडबोले 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र से जुड़ी रहीं। उन्होंने 2018 में सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर के रूप में काम किया है। पुणे में जन्मी गोडबोले एसपी कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), बॉम्बे की पूर्व छात्रा थीं। बारह नवंबर 1952 को जन्मी गोडबोले ने 1979 में अमेरिका के स्टोनी ब्रूक्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया।

- **प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया।**

प्रधानमंत्री ने गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा, रोहिणी गोडबोले जी के निधन से बहुत दुःख हुआ। वह एक अग्रणी वैज्ञानिक और नवोन्मेषक थीं, जो विज्ञान की दुनिया में अधिक महिलाओं की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विभागीय कार्यवाही लंबित होने पर विदेश यात्रा से नहीं रोक सकते'

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही का लंबित होना, किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विदेश जाने से वंचित किया जा सकता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता का सामाजिक महत्व है, यह महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उसके बेटे से मिलने के लिए सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति भी दे दी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नीरज सक्सैना की

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने नीरज सक्सेना की याचिका पर बेटे से मिलने सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति दी।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध'

नोबल पुरस्कार विजेता कोरिअन लेखक की किताब कोरिया में ही प्रतिबंधित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। "कोरिअन हैरल्ड" की चाई जाँग हून ने सिओल से खबर दी है कि दक्षिण कोरिया की उपन्यासकार हन कांग को 2024 का साहित्य का नोबल पुरस्कार मिलने के बाद देश भर में उल्लास का माहौल है, किन्तु, इस सबके बीच कांग की एक किताब को लेकर भारी वाद विवाद छिड़ गया है, जिसे "युवाओं के लिए हानिकारक" माना जा रहा है।

विवाद उस समय शुरू हुआ, जब यह पता चला कि, गत वर्ष ग्यौंगी प्रांत के तकरीबन 2490 एलिमैन्टरी, मिडिल व हाई स्कूलों की लाइब्रेरी से जो 2528 किताबें हटाई गई थीं, उनमें कांग की किताब "द वैजिटेरियन" भी शामिल थी। हटाई गई सभी पुस्तकों को छात्रों के लिए हानिकारक माना गया था।

इन पुस्तकों में हन कांग की किताब ही नहीं बल्कि, एक और नोबल पुरस्कार विजेता लोक होज़े सारामागो की पुस्तक "ब्लाइन्डनैस" माइकल रोइज़न की, "यू: द ओनर्स मैनुअल", जिसे जर्मनी में "साइन्स बुक ऑफ द ईयर" अवॉर्ड मिला था तथा टाइम्स एजुकेशनल सप्लिमैंट्स सीनियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीतने वाली, सूजन मैरडिथ की "वॉट्स हैपनिंग टु मी" शामिल है। आखिरी दो किताबें, किशोरों के लिए सैक्स एजुकेशन तथा मानव शरीर के बारे में हैं।

यह कदम तब उठाया गया, जब ग्यौंगी प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजुकेशन एक रूढ़िवादी एन.जी.ओ. की सलाह पर स्कूलों को पुस्तकों के बारे में मैमो भेजा। एन.जी.ओ. ने स्कूलों को सैक्स संबंधी किताबें हटाने की सलाह दी थी। तथापि, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज़्म के तहत आने वाली पब्लिकेशन इण्डस्ट्री प्रमोशन एजेन्सी ऑफ कोरिया ने हटाई गई किताबों में से केवल एक किताब को युवाओं के लिए हानिकारक माना।

हान की, लिटरेचर में नोबल की ऐतिहासिक जीत के बारे में स्कूलों और घरों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई।

दो बेटियों की माँ, ली ने कहा, "मेरी बेटी, जो आठवीं कक्षा में है, ने कहा कि वो हान की किताब "द वैजिटेरियन" पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके टीचर्स ने उसे "ह्यूमन एक्ट्स" नाम की दूसरी किताब पढ़ने की सलाह दी। ली ने आगे कहा, "द वैजिटेरियन" को मेरी बेटी की उम्र के बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताया गया।

माताओं के एक लाइन कैफे में एक

- **किताब में बच्चों को आरम्भ से ही सैक्स एजुकेशन देने की बात कही गई है, जो सारे विश्व में सराही जा रही है, पर, कोरिया के परम्परावादी खेमों ने इस किताब का सख्त विरोध किया है और इस किताब को उन स्कूलों व पुस्तकालयों में प्रतिबंधित कर दिया है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुशांत डैथ केस में रिया चक्रवर्ती को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरु में सी.बी.आई. तथा महाराष्ट्र की उस अपील को "सारहीन" बताते हुये खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती तथा भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किये गये "लुक आउट सर्कुलर्स" (एल.ओ.सी.) को रद्द कर दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती तथा उनके पिता लेफ्टिनेन्ट कर्नल इन्द्रजीत चक्रवर्ती को "लुक आउट सर्कुलर" सी.बी.आई. द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जाँच के सिलसिले में जारी किये गये थे।

- **सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी "लुक आउट सर्कुलर" को रद्द कर दिया।**

एल.ओ.सी. को रद्द कर देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सी.बी.आई. की याचिका को "सारहीन" बताते हुये, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा के.वी. विश्वनाथन की बैंच ने कहा कि जाँच एजेंसी इस शीर्ष अदालत में केवल इसलिये आई है, क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं।

इसके बाद, बैंच ने सी.बी.आई. की याचिका खारिज कर दी। सी.बी.आई. ने इनके खिलाफ एल.ओ.सी. उस समय जारी किये थे, जब राजपूत के परिवार ने पटना में एक एफ.आई.आर. दर्ज करके, राजपूत की मृत्यु की जाँच की माँग की थी।

उच्च न्यायालय ने ये एल.ओ.सी. फरवरी 2024 में रद्द कर दिये थे तथा कहा था कि सी.बी.आई., एल.ओ.सी. जारी करने के कारण नहीं बता पाई है।

प्रैस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट में और दम डालने की जरुरत है

प्रैस काउन्सिल ऑफ इंडिया की मीटिंग में सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया, पर, अध्यक्ष ने इसमें "असहमति पत्र" भी संलग्न किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केन्द्र सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नैशनल कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया है। हालांकि इसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने इस पर असंतोष जताया है। ज्ञातव्य है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद ने किया है।

पत्रकारों की गिरफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाने और धमकाने के खिलाफ यह प्रस्ताव पी.सी.आई. सदस्य गुरबीर सिंह ने बनाया था, जिसे 27 सितम्बर को बहुमत से स्वीकार किया गया था।

इसमें प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट को ज्यादा शक्तियां देने की मांग की गई है, ताकि यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए उभर रही चुनौतियों व खतरों से निपटने में सक्षम हो सके।

सिंह लिखते हैं कि अभी पी.सी.आई. सिर्फ सलाहकारी आदेश ही दे सकती है, जो बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए उन तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि पुलिस के लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उनके साथ आचरण के नियम बनाए जाएं।

उदाहरण के लिए, एक पत्रकार की गिरफ्तारी से पूर्व संपादक या प्रकाशन से पुष्टि की जाए कि क्या संबंधित पत्रकार किसी विषय पर काम कर रहा था।

सिंह ने कहा कि उच्चस्तर से लेकर निम्नस्तर के कॉंस्टेबल तक, सभी के लिए गंभीर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाए और उन्हें पत्रकारों के साथ सम्मान से व्यवहार करना सिखाया जाए।

रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में देश भर में पत्रकारों की हत्या हुई हैं तथा 226 को राज्य सरकारों ने या असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है।

सिंह ने कहा कि प्राइवेट सर्वे के अनुसार भारतीय समाचार संघ गंभीर दबाव में काम कर रहे हैं। प्रैस फ्रीडम की जहां तक बात है, वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इन्डैक्स, 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 159 वां है।

प्रस्ताव में पत्रकारों से जुड़े कई मामलों का जिक्र है, जिनमें समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक पर दिल्ली पुलिस की रेड भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को न्यूजक्लिक के 86 पत्रकारों पर रेड की थी। न्यूज क्लिक पोर्टल के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन चीफ अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली के दंगों को कवर कर रहे कारवां मैगज़ीन के पत्रकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था।

इस रिपोर्ट पर पी.सी.आई.

- **प्रैस काउन्सिल की मीटिंग में पत्रकार गुरबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकारें काउन्सिल के आदेश को उपदेश मात्र मानकर उपेक्षित कर देती हैं तथा आदेश की परवाह नहीं करती हैं और पत्रकारों को धमकाती हैं।**
- **प्रस्ताव में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई तथा 226 पत्रकारों को सरकारों, राजनेताओं ने और असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)